न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

अपील/22/2018

श्रीमती ओमवती पत्नी स्व. मूलचन्द्र भूतपूर्व सहायक अभ्यिन्ता जाति जाट निवासी दो पुलिया चक्की के पास, सजंय नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

....अपीलार्थी0

बनाम

1–नाहर सिंह उर्फ नरेश पुत्र स्व. श्री मूलचन्द
2–श्रीमती मिथलेश पत्नी नाहर सिह जातियान जाट निवासीयान दो पुलिया चक्की के पास संजय नगर भरतपुर

..... रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोष तथा कल्याण अधिनियम 2007 व खिलाफ निर्णय दिनांक 13.4.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी भरणपोषण भरतपुर ।

निर्णय दिनांक 27.2.2019

अपीलार्थी ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर आदेश दिनांक 13.4.2018 के पेश की गई है। अपील में अंकित किया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया 68 वर्ष की विधवा महिला है। प्रार्थीया के द्वारा खरीद शुदा व निर्मित मकान नम्बर 259 दो पुलिया चक्की के पास संजय नगर भरतपुर में स्थित है। अप्रार्थीगण क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते नाजायज परेशान करते हैं विवादित मकान में नहीं रहने देना चाहते हैं। अप्रार्थी. ने दिनांक 18.5.2017 को धमकी दी है वे मकान को विक्रय दे देंगे। प्रार्थीया को उक्त मकान में रहने से ना रोकें क्रूरतापूर्ण व्यवहार ना किया जावे तथा अप्रार्थीण के द्वारा जो प्रार्थीया स्वामित्व के मकान में रिहायश की जा रही है जरिये आदेश हटवाया जावे ताकि प्रार्थीया शांतिपूर्ण अपनी जिन्दगी व्यतीत कर सके। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.4.2018 निरस्त किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के स्वअर्जित मकान नम्बर 259 दो पुलिया चक्की के पास सजंय नगर भरतपुर से बेदखल किया जाकर अपीलान्ट को उक्त मकान को कब्जा सुपुर्द किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। रेस्पो की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित अपीलान्ट अभिभाषक को सुना गया ।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि प्रार्थीया विधवा महिला है। प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीया का एक मकान नम्बर 259 दो पुलिया चक्की के पास सजंय नगर भरतपुर में स्थित है। जिसका मालिकाना व काबिजाना प्रार्थीया में निहित है। प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास होने के बाद अप्रार्थीगण उक्त मकान में जबरदस्ती बिना प्रार्थीया की सहमति से घुस हुये हैं, प्रार्थीया को मकान में रहने नहीं देते हैं। प्रार्थीया के साथ मारपीट करते हैं। मकान खाली कराने हेतु कई बार पुलिस अधिकारियों को निवेदन किया है परन्तु अप्रार्थी दंबग है और पहुंच रखता है। मकान खाली नहीं करता है। तहत न्यायालय ने प्रार्थीया

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की प्रार्थना पत्र कोई ध्यान नहीं दिया और नाही प्रार्थीया मकान दिलाया है। इस सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने रुलिंग डीएनजे2018 पेज1526 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये प्रार्थना की कि अप्रार्थी को प्रार्थीया के मकान बेदखल कराया जाकर प्रार्थीया को कब्जा दिलाये जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों में जाहिर किया कि प्रार्थीया अपीलान्ट रेस्पो की मॉ है। प्रार्थीया से किसी प्रकार कर झगडा नही करते हैं। प्रार्थीया को पति यानि रेस्पो के पिता के मृत्यू के बाद 15000/–रुपये मासिक पेन्शन मिलती है। अप्रार्थी के पिता व प्रार्थीया के पति द्वारा अपने जीवन काल में उक्त मकान का मौखिक रुप से बंटवारा कर दिया गया था, जिसमें ऊपर के पोरशन को अप्रार्थी संख्या 1 को नीचे का पोरशन प्रार्थीया व उसके छोटे पुत्र को दिया गया है। उसी प्रकार से प्रार्थीया एवं अप्रार्थी अपने अपने हिस्से में निवास कर रँहे हैं। तहत न्यायालय द्वारा सही आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीया ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उपस्थिति उभय पक्ष अभिभाषक के कथनों पर गौर किया गया। रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत जबाब का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश तारीखी 13.4.2018 का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की मुख्य प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को मकान नम्बर 259 दो पुलिया चक्की के पास सजंय नगर भरतपुर से बदेखल किया जाकर अपीलान्ट उक्त मकान का कब्जा दिलाया जावे। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रुलिंग डीएनजे2018 पेज1526 का अवलोकन किया। प्रार्थीया को मकान में रहवास के लिये मकान की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुये। अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

सत्यमेव जयते

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.4.2018 निरस्त किया जाता है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के मकान मकान नम्बर 259 दो पुलिया चक्की के पास सजंय नगर भरतपुर को खाली कर अपीलान्ट/प्रार्थीया को रहने के लिये दें। प्रार्थीया की बृद्वावस्था जीवन यापन भरण पोषण के लिये 4000/– रुपये प्रतिमाह खर्चा प्रार्थीया के बैंक खाते में जमा करावे। निर्णय की प्रति एस.एच.ओ. मथुरा गेट भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2019 को सुनाया गया।

(डा. आरुष मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Web Copy - Not Official